न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 73/2021

अनवान : –

1. बलराम पुत्र ओमप्रकाश जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. बाबुलाल पुत्र लेखराम जाति लखेरा (लखरा) निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति लखेरा (लखरा) निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मांगीलाल पुत्र बृजलाल जाति लखेरा (लखरा) निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. मोहनी 5. मुन्नी 6. सुमित्रा 7. सुनिता 8. ललीता पुत्रीयान बृजलाल जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

9\. धर्मपाल पुत्र सावित्री पत्नी होशियारीलाल जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

10\. सुभाष 11. वेदप्रकाश पि0 स्व0 सावित्री पत्नी होशियारीलाल जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

12\. शारदा पत्नी राजू पुत्र सावित्री पत्नी होशियारीलाल जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

13\. ममता 14. रेखा 15. मनोज 16. विकास पुत्र व पुत्रीयान राजू पुत्र सावित्री पत्नी होशियारीलाल जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

17\. विमला 18. सन्तोष पुत्रीयान लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

19\. भंवर 20. सुरेश पुत्रगण कमला पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

21\. सुशीला पत्नी हनुमान पुत्र कमला पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

22\. राजू 23. राजेन्द्र पुत्रगण हनुमान पुत्र कमला पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

24\. कंचन पुत्री बलराज पुत्र स्व0 कमला पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

25\. पुजा 26. गोतम पुत्र व पुत्री बलराज पुत्र स्व0 कमला पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

27\. मीना 28. बेगी 29. बुली 30. बाला 31. तस्वीर पुत्रीया स्व बिरमती पुत्री स्व0 कमला पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

32\. सोनू 33. मोनु पुत्रगण स्व0 बिरमती पुत्री स्व0 कमला पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

34\. निमल 35. रामवीर 36. सुनील पुत्र व पुत्रीयान स्व लाली पुत्री स्व0 कमला पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

37\. माया 38. ललिता 39. [illegible] पुत्री [illegible] पुत्री लेखराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी नोहर तहसील नोहर।

40\. राजस्थान स्टेट जरिये [illegible] नोहर तहसील नोहर।

41\. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:25 IST
Reason: SelfAttested

– अप्रार्थीगण

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 08/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 60/54 के ख.न. 257 की 6.6140 हैक्टर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता सं. 22/22 के ख.न. 177/2 की 1.6440 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके पूर्व में सायल के दादा लेखराम पुत्र सुखराम जाति लखारा साकिन नोहर खातेदार काश्तकार थे।

सायल के दादा के लेखराम पुत्र सुखराम जाति लखारा साकिन नोहर तहसील नोहर फौत हो चुके है एवं बाद फौतदगी उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणो ओमप्रकाश, गोरीशंकर व बृजलाल, बाबुलाल एवं होशियारीलाल पर औद हुई एवं होशियारीलाल की फौतदगी के बाद उनकी धर्मपत्नी सावित्री पर औद हुई एवं वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 60/54 के ख.न. 257 की 6.6140 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता सं. 22/22 के ख.न. 177/2 की 1.6440 हैक्टर भूमि यानि दोनो खातो में ओमप्रकाश अकेला 1/6 हिस्सा, गोरीशंकर, अकेला 1/3 हिस्सा, बृजलाल अकेला 1/6 हिस्सा, बाबुलाल अकेला 1/6 हिस्सा, सावित्री अकेली 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है। ओमप्रकाश, गोरीशंकर, बृजलाल सावित्री फौत हो चुके है। एवं ओमप्रकाश के वारिसान सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 41 ता 44 है तथा बृजलाल के वारिसान गैरसायलान सं. 2 ता 8 है तथा सावित्री की फौतदगी के बाद उनके वारिसान गैरसायलान सं. 9 ता 16 है एवं गोरीशंकर जो कि अविवाहित था जिसके कोई सन्तान नही श्री फीत हो चुका है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार गोरीशंकर के नाम दर्ज कृशि भुमि प्रथम श्रेणी के वारिसान सायल व गैरसायलान सं. 1 ता 39 एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 41 ता 44 प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा नाम दर्ज कृषि भूमि के विधिक उत्तराधिकारी है तथा उनके नाम दर्ज कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी है। रोही मौजा चक देईदारापुरा तहसील नोहर के खाता सं. 60/54 के ख.न. 257 की 6.6140 हैक्टर भूमि में सायल एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 41 ता 44 ब.हि.ब. 3/14 हिस्सा, गैरसायल सं. 1 अकेला 3/14 हिस्सा, गैरसायलान सं. 2 ता 8 ब.हि.व. 3/41 हिस्सा, गैरसायलान सं. 9 ता 16 ब.हि.ब. 3/14 हिस्सा, गैरसायला सं. 17 अकेली 1/21 हिस्सा, गैरसायला सं. 18 अकेली 1/21 हिस्सा, गैरसायलान सं. 19 ता 39 ब.हि.ब. 1/21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता सं. 22/22 के ख.न. 177/2 की 1.6440 हैक्टर भूमि में सायल एव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 41 ता 44 ब.हि.ब. 3/14 हिस्सा, गैरसायल सं. 1 अकेला 3/14 हिस्सा, गैरसायलान सं. 2 ता 8 ब.हि.ब. 3/41 हिस्सा, गैरसायलान सं. 9 ता 16 ब.हि.ब. 3/14 हिस्सा, गैरसायला सं. 17 [illegible] 1/21 हिस्सा, गैरसायल सं. 18 अकेली 1/21 हिस्सा. गैरसायलान सं. 19 ता 39 ब.हि.ब. 1/21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। एवं मृतक ओमप्रकाश, सावित्री, गोरीशंकर, बृजलाल [illegible] नाम कलमजन करवाकर इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है। [illegible] बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल से गैरसायलान सं. 1 ता 39 पारिवारिक कारणो से नाराज है तथा सायल को उसके हक व हिस्से की भूमि नही दे रहे है। तथा मृतक गोरीशंकर के नाम दर्ज कृषि भूमि अपने अकेलो के नाम दर्ज करवाना चाहते है तथा अपने नाम दर्ज करवाकर वाद भूमि किसी प्रकार से अन्तरित करने पर आमादा है तथा उसके हक व हिस्से की भूमि को काश्त करने से रोकने पर आमादा है। तथा वादी कृषि भूमि पेशा व्यक्ति है तथा उसकी आजिविका का जरिये उक्त कृषि भूमि है तथा गैरसायलान ऐसा करने में कामयाब हो जाते है। तो वादी को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा इसलिए सायल गैरसायलान सं. 1 ता 39 के खिलाफ रहन/बैय मुन्तकिल एवं मौका की यथास्थिति की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 60/54 के ख. न. 257 की 6.6140 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता सं. 22/22 के ख.न. 177/2 की 1.6440 हैक्टर भूमि में सायल को उसके हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त से बेदखल करने निषिद्ध रहे। एवं गैरसायलान सं. 1 ता 39 वाद भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 60/54 के ख0न0 257/6.06140 हेक्ट व रोही मौजा ब्राहमणवासी के खाता स0 22/22 के ख0न0 177/2 की 1.6440 हैक्ट में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि वाद भूमि [illegible] गोरीशकर के नाम दर्ज है जो की वादी का चाचा है एवं गौरीशंकर का लावल्द देहान्त हो चुका है गोरीशकर के जायज वारिसान सायल व गैरसायलान है लेकिन गैरसायलान गोरीशंकर के नाम दर्ज भूमि को अपने अकेले के नाम दर्ज

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवाना चाहते है एवं सायल को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहता है एवं अकेले के नाम दर्ज कर बैय करना चाहता है जबकि सायल का भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरीशकर के नाम दर्ज है एवं गोरीशकर का देहान्त हो चुका है अप्रार्थीगण आदिनांक तक रिकार्डेड खातेदार भी नही है इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है क्योंकि वाद भूमि मृतक के नाम दर्ज है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 25.06.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:25 IST
Reason: SelfAttested